INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP26237970813297V
Certificate Issued Date	:	04-Feb-2023 04:03 PM
Account Reference	:	IMPACC (SH)/ upshimp17/ RAMPUR/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHIMP1746288894070747V
Purchased by	:	MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	FOR AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Second Party	:	MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Stamp Duty Paid By	:	MOHD KAMIL HUSSAIN SO MOHD IQBAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

100/- Rs stamp Sumbul, Agreement

NOTARY V.K. Agarwal Advocate/Notary R. N. 24/56/2006 Distt. Rampur GOVT. U.P. (INDIA)

S. No. 12 Date 4/2

I certified the Shri ...

Identified by Shri ...

Swore to solemnly affirmed that contents of this affidavit being true my presence dated 4/2/23 at 4:30 AM after full under standing in constate.

EXECUTANT

EXECUTANT

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला,

तथा

गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, डा0 मो0 कामिल हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, उ0प्र0

के मध्य

<u>अनुबन्ध–पत्र</u>

मुरादाबाद नगर में दो स्थलों पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल एम्बियन्ट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसकी वैधता दिनांक 20.01.2023 को समाप्त हो गयी है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 20.01.2024 तक के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला जिसे एतत् पश्चात प्रथम पक्ष कहा जायेगा और गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज द्वारा डा0 मो0 कामिल हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, मुरादाबाद, उ0प्र0 जिसे एतत् पश्चात द्वितीय पक्ष कहा जायेगा। निम्नलिखित रूप से सहमत हुए है कि–

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मुरादाबाद नगर के अन्तर्गत दो स्थानों क्रमशः पी0टी0सी0 एवं बुद्धबाजार, मुरादाबाद पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण किया जाएगा, जिसके लिये प्रथम पक्ष द्वारा रू0 7,40,000/– (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित जिसमें समस्त कर सम्मिलित है, प्रति वर्ष की दर से (दो अनुश्रवण केन्द्रों के लिए) भुगतान किया जायेगा ।
2. यह कि यह अनुबन्ध प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृत परियोजना की समयावधि दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 20.01.2024 तक के लिये मान्य होगा।
3. यह कि उक्त परियोजना के संचालन हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रू0 रू0 7,40,000/– (रू0 सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप से द्वितीय पक्ष को देय होगा। उक्त 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा इन्वायस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत अनुश्रवण कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा छः माह के कुशल संचालन के पश्चात परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की शेष/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु इन्वायस द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित अनुश्रवण केन्द्र के संचालन–संबंधी मॉनिटरिंग–आख्या भी, क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद की संस्तुति सहित प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात ही भुगतान बोर्ड द्वारा देय होगा।
4. यह कि परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान में अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में संस्था/द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी।
5. यह कि उक्त परियोजना मे स्वीकृत धनराशि में वायुगुणता अनुश्रवण से संबंधित समस्त कार्य तथा स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण, स्थल का किराया, बिजली का किराया, श्रमशक्ति, संयंत्रों की मरम्मत इत्यादि सभी व्यय सम्मिलित है। प्रस्तर–1 मे वर्णित धनराशि के अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी अन्य मद में किसी भी प्रकार का भुगतान द्वितीय पक्ष को नही किया जायेगा।
6. यह कि प्रत्येक अनुश्रवण केन्द्र पर सप्ताह में दो दिन 24 घंटे लगातार (वर्ष में 104 दिन) वायु अनुश्रवण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य किया जाना होगा। अनुश्रवण केन्द्रों क्रमशः पी0टी0सी0 एवं बुद्धबाजार, मुरादाबाद मे 03 प्रचालकों पीएम 10, सल्फर डाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन डाई आक्साइड गैस का विश्लेषण किया जाएगा। अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवेशीय वायुगुणता के आंकडे नियमित रूप से अनुश्रवण कार्य के 24 घंटे के अन्दर इंटरनेट के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रथम पक्ष के कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी आंकड़े निर्धारित प्रारूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माह की समाप्ति पर प्रथम दस दिवसों में आवश्यक रूप से (हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी) में उपलब्ध कराये जाएगे। डाटा गैप होने की दशा में उक्त अवधि/दिवसों का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण कार्य के समस्त अभिलेख गोपनीय रखे जाएगे और इनका प्रयोग किसी शोध कार्य, रिसर्च पेपर, समाचार पत्र एवं वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं आदि में बिना बोर्ड की अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। अनुश्रवण कार्य के परिणामों/आंकड़ों पर प्रथम पक्ष का ही अधिकार होगा।
9. यह कि अनुश्रवण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 01 माह का नोटिस देते हुए आवंटित कार्य को निरस्त किया जा सकता है।
10. यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध अवधि के मध्य अनुश्रवण का कार्य बन्द किया जाता है तो इसकी सूचना प्रथम पक्ष को निश्चित रूप से 03 माह पूर्व प्रेषित करनी होगी।

EXECUTANT

NOTARY

EXECUTANT

11. यह कि उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन स्थानीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के निगरानी में किया जाएगा एवं प्रतिदिन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ही किया जायेगा। यदि परियोजना अवधि के मध्य परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण संबंधी संयत्रों में मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता पड़ने पर इसका निराकरण द्वितीय पक्ष स्वयं अपने स्तर से करायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार के व्यय आदि का वहन प्रथम पक्ष द्वारा नहीं किया जायेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण से संबंधित उपकरणों का कैलीब्रेशन एन.ए.बी.एल. ऐक्रिडीटेड लैब द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा। कैलीब्रेशन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय फिरोजाबाद के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। आर०डी०एस० एवं बैलेन्स के इन्टर्नल एवं एक्सटर्नल कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन सार्टिफिकेट एवं रिकार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रथम पक्ष को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।

13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रोजेक्ट कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष के प्रमुख से हस्ताक्षर कराकर आवश्यक रूप से प्रथम पक्ष को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा कि दशा मे प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रेषित की जाये जिसमें आकड़ो के साथ उनकी विवेचना एवं सांख्कीय विश्लेषण भी सम्मिलित हो ।

15. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता कार्यो, प्रयोगशाला की गुणवत्ता, अनुश्रवण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि की समीक्षा समय–समय पर प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद एवं प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

16. दीपावली पर्व के दौरान परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य 24 घण्टा लगातार 15 दिवसों तक दीपावली पर्व के दिन सहित पर्व से 01 सप्ताह पूर्व (07 दिन), पर्व से 01 सप्ताह बाद (07 दिन) अर्थात कुल 15 दिन तक निरन्तर आवश्यक रूप से किया जायेगा, जिसमे कि हैवी मेटल्स का विश्लेषण कराया जाना भी सम्मिलित होगा। हैवी मेटल्स के प्राचलकों के विश्लेषण में होने वाले व्यय का भुगतान सरकारी संस्था हेतु निर्धारित दर पर बोर्ड द्वारा पृथक से दिया जायेगा।

17. यह कि इस अनुबन्ध से सम्बन्धित विषय मे किसी विवाद की दशा में निराकरण मैत्रीपूर्ण रीति से किया जायेगा अन्यथा की दशा मे प्रकरण का निराकरण भारतीय मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम,1996 के अनुसार एकल मध्यस्थ द्वारा किया जायेगा एवं मध्यस्थ के प्रथम पक्ष की ओर से चयन हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

18. यह कि विवाद की स्थिति लखनऊ न्याय क्षेत्र होगा।

अतः आज दिनांक को उक्त अनुबन्ध पत्र पर पक्षकारों द्वारा सहमत होकर गवाहों की उपस्थिति में अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया गया, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे ।

EXECUTANT

गवाह — Identified by

1. सनोबर पुत्री अब्दुलहसन
नि० मो० पक्केबाला [illegible]

2. Identified by
आलोक शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा
नि० पाक बस्ती मुरादाबाद
आलोक शर्मा

प्रथम पक्ष

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ द्वारा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (के०प्र०यो०)

EXECUTANT

द्वितीय पक्ष

गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, मुरादाबाद
द्वारा डा0 मो0 कामिल हुसैन,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, मुरादाबाद उ0प्र0

NOTARY
RAMPUR